# ग्रामीण कार्य विभाग
# बिहार सरकार

## कार्यालय आदेश

का०आ०सं0 :–3/अ०प्र०–1–96/2019 03 /पटना, दिनांक :– 29.1.21

मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5516 अनु0 दिनांक 05.08.2019 द्वारा विभाग को समर्पित प्रतिवेदन में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी/फुलपरास/बेनीपुर एवं दरभंगा–2 अंतर्गत चारों प्रमंडलों के अभिलेखों के समीक्षा में यह पाये जाने का उल्लेख करते हुए कि श्री अनिल कुमार झा, तत्कालीन लेखा लिपिक (रोकड़ प्रभारी) के द्वारा उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान नियमानुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वह्न नहीं करने एवं इनके पदस्थापन अवधि में प्रमंडलों में रोकड़ संबंधी कार्यों में अनियमितता की प्रबल संभावना व्यक्त करते हुए कारवाई की अनुशंसा की गयी।

2. मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में मामले के समीक्षोपरान्त कर्त्तव्यों का निर्वह्न नहीं करने एवं रोकड़ संबंधी अनियमितता के आरोपों के लिए श्री अनिल कुमार झा, तत्कालीन लेखा लिपिक (रोकड़ प्रभारी), सम्प्रति लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा को कार्यालय आदेश संख्या–67–सह–पठित ज्ञापांक 2634 दिनांक 04.09.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी का कार्यालय निर्धारित किया गया एवं श्री झा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए कार्यालय आदेश संख्या–68–सह–पठित ज्ञापांक 2764 दिनांक 18.09.2019 द्वारा मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 194 अनु० दिनांक 14.01.2020 द्वारा श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री झा के विरूद्ध गठित वित्तीय अनियमितता संबंधी आरोप को अप्रमाणित, किन्तु राशि संबंधित प्रमंडल में विलंब से जमा करने के आरोप को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

4. श्री झा द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2020 विभाग को समर्पित करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी/फुलपरास/बेनीपुर एवं दरभंगा–2 अंतर्गत चारों प्रमंडलों में लंबित राशि को उनके द्वारा जमा कर दिये जाने के आलोक में निलंबन से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री झा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 के पत्रांक 1091 दिनांक 25.09.2019, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक 918 दिनांक 04.10.2019, मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 5516 अनु0 दिनांक 05.08.2019 एवं मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 3118 अनु0 दिनांक 20.06.2020 से प्राप्त प्रतिवेदनों के समीक्षोपरांत श्री अनिल कुमार झा, तत्कालीन लेखा लिपिक के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2/कार्य प्रमंडल, बेनीपुर/कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी एवं कार्य

प्रमंडल, फुलपरास अंतर्गत राशि लंबित नहीं पाये जाने के कारण कार्यालय आदेश संख्या–41–सह–पठित ज्ञापांक 1202 दिनांक 26.06.2020 द्वारा निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

5. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 194 अनु० दिनांक 07.09.2020 द्वारा श्री झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरान्त सहमति संसूचित करते हुए विभागीय पत्रांक 1448 अनु० दिनांक 07.09.2020 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

6. उक्त विभागीय निदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार झा, लेखा लिपिक द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान एवं कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर के पत्रांक 01/कैम्प दिनांक 05.08.2019, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2 के पत्रांक कैम्प आवास–01 दिनांक 20.08.2019, एवं मुख्य अभियंता–2 के पत्रांक 3118 अनु० दिनांक 20.06.2020 एवं अन्य अभिलेखों के समीक्षोपरांत श्री झा के जिम्मे कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2/कार्य प्रमंडल, बेनीपुर/कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी एवं कार्य प्रमंडल, फुलपरास अंतर्गत कोई राशि लंबित नहीं पाया गया है।

अतः उक्त आलोक में श्री अनिल कुमार झा, लेखा लिपिक द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान से सहमत हुआ जा सकता है, परन्तु राशि विलंब से जमा करने के लिए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए श्री झा को आरोप मुक्त किया जाता है।

7. श्री झा के विरूद्ध निलंबन की अवधि दिनांक 04.09.2019 से दिनांक 25.06.2020 (निलंबन मुक्ति की तिथि 26.06.2020) तक की अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं विनियमित किया जाता है। साथ हीं उक्त अवधि पेंशन के प्रयोजनार्थ गणना की जाएगी।

29/1/21

(अशोक कुमार मिश्रा)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 3/अ०प्र०–1–96/2019 243 /पटना/दिनांकः– 29-1-21

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, दरभंगा, गया, सासाराम एवं पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा–2, बेनीपुर, बेनीपट्टी, फुलपरास, डिहरी एवं मसौढ़ी/प्रशाखा पदाधिकारी–8, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री अनिल कुमार झा, तदेन लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/21

अभियंता प्रमुख

**ज्ञापांक** :– 3/अ०प्र०–1–96/2019 243 /पटना/दिनांकः– 29-1-21

**प्रतिलिपि** :– कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, नवादा, डेहरी, सासाराम एवं मसौढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/21
अभियंता प्रमुख

**ज्ञापांक** :– 3/अ०प्र०–1–96/2019 243 /पटना/दिनांकः– 29-1-21

**प्रतिलिपि** :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/21
अभियंता प्रमुख

**ज्ञापांक** :– 3/अ०प्र०–1–96/2019 243 /पटना/दिनांकः– 29-1-21

**प्रतिलिपि** :– सहायक आई०टी० मैनेजर, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, डेहरी के ई–मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/21
अभियंता प्रमुख